न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 676/2017

मैसर्स इक्रो फेण्डली पैकेजिंग प्रा.लि. जरिये डॉ. सिद्धार्थ कासलीवाल, आयु 32 वर्ष, पुत्र स्व. श्री प्रमोद कासलीवाल, जाति महाजन, निवासी – बी– 6 ई, आदिनाथ मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर राज0।

अपीलान्ट् –

बनाम

1. रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री रिछपाल राम शर्मा, जाति–ब्राह्मण, निवासी ग्राम डिगारिया, तहसील थानागाजी, जिला अलवर।

2. विनोद कुमार सैनी पुत्र स्व. श्री भौरीलाल सैनी, जाति–माली, निवासी तेली बावडी की ढाणी, ठाठर रोड, तहसील आमेर जिला जयपुर।

3. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स–

5. श्रीमती तुलसी देवी पत्नी स्व. श्री रामरतन
6. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. श्री रामरतन
7. दामोदर पुत्र स्व. श्री रामरतन
8. इन्द्रादेवी पुत्री स्व. श्री रामरतन
9. लालीदेवी पुत्री स्व. श्री रामरतन

समस्त जाति माली, निवासीगण नांगल रोड, श्याम मन्दिर के पास, डूंगरी वालों की ढाणी तहसील आमेर, जिला जयपुर।

10. डालूराम सैनी पुत्र श्री बुद्धाराम सैनी, जाति माली, निवासी अंधाका की ढाणी, दिल्ली रोड, आमेर, जिला जयपुर।

–प्रोफार्मा रेस्पोडेन्ट्स–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1–श्री एस0 एन0 शर्मा अपीलांट की ओर से।

2–श्री ज्ञानेश्वर बाढदार रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–09–01–2018

1– यह अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15–12–2016, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर वाद संख्या 72/14 बउनवानी रमेश चन्द वगैरह बनाम श्रीमती तुलसी देवी वगैरह प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद न्यायालय में इस आशय का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

प्रस्तुत किया कि ग्राम आमेर, पटवार क्षेत्र आमेर, तहसील आमेर, के आराजियात खसरा नम्बर 1347 रकबा 0.12 हैक्टै0 किस्म बंजड स्थित है। जो इस वाद से वादग्रस्त है। इस वादग्रस्त आराजियात में वादी क्रम सं. 1 का हिस्सा 1/8 व वादी क्रम–2 का हिस्सा 1/8 निहित है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 2 ल0 5 का हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 1/8 निहित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त आराजियात पर मनबट के आधार पर अपने अपने हिस्से के अनुसार काबिज काश्त है एवं लगान राज्य सरकार को जमा करा रहे हैं परन्तु पक्षकारों के मध्य कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। दिनांक 20.04.2014 को वादीगण अपनी उक्त वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि सम्भालने गया था तत्समय प्रतिवादीगण 5–7 अन्य दीगर व्यक्तियों के साथ मौके पर आये एवं वादीगण के हिस्से व कब्जेशुदा भूमि को दिखाने लगे व सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजियात की नापजोख करने लगे। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि तुम उक्त कृषि भूमि किसको व क्यों दिखा रहे हो।, जिस पर प्रतिवादी क्रम सं. 1 ल0 5 द्वारा कहा गया कि "यह भूमि हमारी है हम चाहे जैसा इसका उपयोग करें या विक्रय करें तथा प्रतिवादी क्रम स. 1 ल0 5 के द्वारा वादीगण को कहा कि हम उक्त वादग्रस्त आराजियात को प्रतिवादी क्रम सं. 7 को विक्रय कर रहे हैं तथा प्रतिवादी क्रम 7 उक्त वादग्रस्त आराजियात पर होटल निर्माण करवायेगा।" प्रतिवादी क्रम 6 के द्वारा भी वादी को कहा गया कि "मैंने भी उक्त वादग्रस्त आराजियात में अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी क्रम 7 को विक्रय कर दी है प्रतिवादी क्रम 7 उक्त वादग्रस्त आराजियात पर होटल का निर्माण करवायेगा इसलिए तुम भी उक्त वादग्रस्त आराजियात में अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी क्रम सं. 7 को विक्रय कर दो प्रतिवादी क्रम 7 के द्वारा वादीगण को कहा गया कि "उसने उक्त वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवाद क्रम 6 के हिस्से की भूमि क्रय कर ली है तथा प्रतिवादी क्रम 1 ल0 5 के हिस्से की भूमि एक दो दिन में क्रय कर लेगा इसलिए वादीगण भी उक्त वादग्रस्त आराजियात में अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी क्रम 7 को विक्रय कर दें। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त वादग्रस्त आराजियात में अपने हिस्से की भूमि विक्रय करने से इन्कार कर दिया गया जिस पर प्रतिवादी क्रम 7 व उसके साथ आये अन्य प्रतिवादीगण व व्यक्ति उग्र हो गये तथा प्रतिवादी क्रम 7 व उसके साथ आये अन्य प्रतिवादीगण व व्यक्तियों के द्वारा वादीगण को एलानिया धमकी दी कि "वादीगण चुपचाप वादग्रस्त आराजियात में अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी क्रम 7 को विक्रय कर दे अन्यथा वादीगण को वादग्रस्त आराजियात मे उसके स्वामित्व व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल कर दिया जावेगा तथा वादीगण के स्वामित्व व कब्जे की भूमि पर कब्जा कर लिया जावेगा।" दिनांक 19.05.2014 को वादीगण वादग्रस्त आराजियात में उसके हिस्से व कब्जे की भूमि सम्भालने गया तो वादीगण ने देखाकि प्रतिवादीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजियात पर निर्माण सामग्री पत्थर बजरी एकत्रित कर ली है जिस पर वादीगण ने तहसील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

कार्यालय, पंजीयक कार्यालय व पटवार हल्का से नकल प्राप्त की हो वादीगण को जानकारी में आया कि "प्रतिवादी क्रम 1 ल0 5 ने भी उक्त वादग्रस्त आराजियात में अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी क्रम 7 को विक्रय कर दी है।" इस प्रकार दिनांक 20.04.2014 को प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात में उसके कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल करने तथा वादीगण की भूमि पर कब्जा करने की धमकी दिये जाने से तथा दिनांक 19.05.2014 को प्रतिवादीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजियात पर निर्माण सामग्री पत्थर बजरी डलवाने से वादी के मन में भय व्याप्त हो गया है कि प्रतिवादीगण कभी भी और अधिक बल वल के साथ आकर वादीगण के उक्त वादग्रस्त आराजियात पर निर्माण कर कब्जा कर सकते हैं। इसलिए वादीगण को यह वाद माननीय न्यायालय के समक्ष दायर करना लाजमी है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में कथन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.2016 एकपक्षीय, अवैधानिक एवं रूयेदाद मिसल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री की अपील लम्बित होते हुए न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत अन्तिम डिक्री मनमर्जी से पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की वस्तुस्थिति की जांच किये बिना मिन अपीलान्ट द्वारा विशेष आपत्ति पर किसी प्रकार का ध्यान दिये बिना आपत्ति प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने में अपनी मनमर्जी का प्रयोग किया है तथा तकासमें के नियमों के विरूद्ध रेस्पोडेंटान को मिन अपीलान्ट की कब्जेशुदा भूमि जिसमें अपीलान्ट ने लाखों रूपया खर्चा किया है हिस्से में देकर मिन अपीलान्ट को विवादित भाग दे दिया गया है जिस पर सी.आई.एस.एफ विभाग का अवैध कब्जा मौके पर किया हुआ है जिससे भी अन्तिम डिक्री निष्पक्ष रूप से पारित नहीं की गई हैं। वादग्रस्त भूमि में मिन अपीलान्ट का 3/4 हिस्सा निहित है जिस पर मिन अपीलान्ट ने बरोज विक्रयपत्र कब्जा प्राप्त कर उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है। तहसीलदार आमेर द्वारा न तो मौके पर जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट बनाये न ही अपीलान्ट को सूचित किया तथा न ही वादग्रस्त भूमि पर जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की न ही किसी पक्षकार को मौके पर बुलाया न नियम 18, 19 व 20 के तहत कार्यवाही की गई। गिरदावर एवं पटवारी हल्का ने अपने ऑफिस में ही बैठकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की है। जिसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को नहीं हुई क्योंकि अपीलान्ट अपने आवश्यक कार्य से विदेश गया हुआ था तथा अपने प्रतिनिधि को उक्त प्रकरण की कार्यवाही के लिए तत्पर रहने के निर्देश देकर गया था। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने तमाम कार्यवाही साजिशी तौर पर करवाई है जो बमुकाबले अपीलान्ट क्लेदम व बेअसर है तथा अपास्त किये जाने योग्य है। कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1347 मे से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को दिये गये भाग पर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का कोई कब्जा काश्त नहीं है, उक्त पश्चिमी भाग पर अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त है, उक्त भूमि खसरा नम्बर 1347 मे से पश्चिमी भाग से अपीलान्ट की अन्य भूमि खाता संख्या 1034 जिसके खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

नम्बर 1348, 1348/1023, 1352/9163, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358/9719, 1404/9825 कुल किता 12 कुल रकबा 1.30 हैक्टै0 को रास्ता मौके पर विद्यमान है तथा अब उक्त पश्चिमी भाग रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को दिये जाने से अपीलान्ट का उसकी उक्त अन्य भूमि में आवागमन का रास्ता ही बन्द ही जायेगा अर्थात अपीलान्ट अपनी अन्य भूमि में आने–जाने से असमर्थ हो जावेगा तथा इससे अपीलान्ट को अपूरणीय क्षति कारित होगी, उक्त भूमि कभी भी रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त में नही रही है तथा आज भी अपीलान्ट का आवागमन मौके पर चालू है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.10.2016 को अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट के बाबत् आपत्तिया पेश की जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के द्वारा कोई जवाब नही दिया गया तथा बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई जिसमें अपीलान्ट की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कुरेजात रिपोर्ट तैयार करते हुए अपीलान्ट को न तो कोई नोटिस जारी किया गया और न ही किसी प्रकार की सूचना दी। एकपक्षीय तौर पर वादीगण के कहे अनुसार अपने कार्यालय में अपनी मनमर्जी के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर ली जिस पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। खसरा नम्बर 1347 की सीमाओं का ब्यौरा नहीं है न पी.टी. सर्वे किया गया तथा राजस्व नक्शें के आधार पर सुपरइम्पोज करके कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर दी। प्रारम्भिक डिक्री अपर न्यायालय में सब–ज्यूडिश होते हुए भी अपनी मनमर्जी से अंतिम डिक्री जारी कर दी जबकि अपीलान्ट को बहस अतिम की कोई तारीख नही दी गई ना ही उसे सुना गया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 16.07.2017 को तब हुई जब रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 एवं उनके कारकुनान द्वारा वादग्रस्त भूमि जिस पर वादीगण अपने हक हिस्से पर कदीम से काबिज चला आ रहा है जबरन बेदखल करने की धमकी दी और कहा कि अब हमने कोर्ट से तुम्हारे कब्जे वाली जगह पर हमारा रंग भरवा लिया है जिससे तुम हमें सीधे तरीके से कब्जा सौंप दो वरना हम तुम्हें जबरन बेदखल कर देंगें। तब अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से जानकारी की तो उन्होनें बताया कि उक्त वाद में दिनांक 15.12.2016 को ही अंतिम डिक्री पारित की दी जिसकी जानकारी अपीलान्ट के पूर्व अधिवक्ता ने अपीलान्ट को नही दी न ही माननीय न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कभी सूचित किया गया। अपील प्रस्तुत अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया कि अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावे।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1347 रकबा 0.12 हैक्टै0 ग्राम आमेर है। वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा जवाब दावा देकर कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 से भूमि क्रय कर लिये जाने के पश्चात् अपीलान्ट का हिस्सा 2/3 हो गया है। प्रकरण में दिनांक 17–11–2015 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन हैं। अंतिम डिक्री जारी करते समय अपीलान्ट की कोई उपस्थिति नहीं है।डिक्री के माध्यम से रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 को भुमि दी गई है वह अपीलान्ट के कब्जे काश्त में है तथा जो अपीलान्ट को दी गई है वह सीआईएसएफ के कब्जे में है जिसका कोई उल्लेख कुर्रेजात रिपोर्ट में नहीं किया गया है। कुर्रेजात रिपोर्ट मौके की वास्तविक स्थिति को देखकर तथा वादग्रस्त खसरे का मौके पर सीमाकंन व नाप किये बगैर तैयार की गई है जो कि अनुचित है।उक्त डिक्री की पालना किये जाने से अपीलान्ट का अपनी अन्य भूमि में आने–जाने का रास्ता ही बंद हो जाता है। प्रार्थना–पत्र धारा 5 पर बहस करते हुए कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की उन्हें सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25–07–2017 को हुई है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने हेतु समय प्रदान किया जावे परन्तु न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र को कोई गौर नहीं करते हुए एकतरफा में वादी को सुना जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी की गई है जिसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं हो सकी थी। न ही अपीलान्ट को कोई केवियेट प्रार्थना–पत्र की प्रति प्राप्त हुई है। अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपील स्वीकार की जावे।

6– रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वे वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार है तथा अपीलान्ट भूमि के क्रय करने के पश्चात् खातेदार बने है। इसलिए इनका कब्जा निर्धारित नहीं है। अपीलान्ट द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई हैं परन्तु आपत्ति के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से इनकी आपत्ति खारिज कर दी गई है। अपीलान्ट के क्रेता होने से इनका यह कथन चलने योग्य नहीं है कि भूमि क्रय करने के पश्चात् वादग्रस्त भूमि पर किसी विशिष्ट भाग पर कब्जा लिया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अतः अपील खारिज योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रस्तुत आपत्ति में कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं की है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 के अन्तर्गत विलम्ब के कोई स्पष्ट व पर्याप्त कारण नहीं बताये गये हैं। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलाधीन निर्णय के संबंध में न्यायालय हाजा में केवियट प्रस्तुत की गई थी तथा केवियट के नोटिस अपीलान्ट को तामील हुए है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय की इनको जानकारी पूर्व से रही है। अपील मियाद बाहर तथा आधारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2014 (1) आरआरटी 154 एससी, आरआरटी 2011 (2) 851, 1995(1)डब्ल्यूएलसी 764, आरआरडी 14–3–2011 पृष्ठ 207,आरआरटी 2004 (1)19,आरआरटी 2001 (1) पृष्ठ 399, आरआरडी 14–10–2008 पृष्ठ 644 तथा एआईआर 2007 एससी 2024 प्रस्तुत किये गये।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में मुख्य रूप से यह आपत्ति दर्ज की गई है कि प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट उनकी अनुपस्थिति में तथा मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत तैयार किये गये है। वादग्रस्त भूमि के कुछ भाग पर सीआईएसएफ द्वारा कब्जा किया हुआ है तथा अपीलान्ट को उक्त कब्जाशुदा भूमि कुर्रेजात रिपोर्ट में दी गई है। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंटस का कोई कब्जा नहीं होने का कथन अपीलान्ट द्वारा करते हुए कहा गया है कि रेस्पोडेंटस को प्रस्तावित की गई भूमि को वह अपनी अन्य खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग में ले रहे है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना करने से उनका उक्त रास्ता बंद हो जावेगा। अपीलान्ट द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी उनके अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई तथा अपीलान्ट स्वयं आवश्यक कार्य से विदेश गये होने के कारण अपीलाधीन निर्णय की जानकारी उनको सर्वप्रथम दिनांक 16–07–2017 को हुई जब रेस्पोडेंटस द्वारा उन्हें अपने कब्जे की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी गई। रेस्पोडेन्टस का मुख्य कथन यह रहा है कि अपीलान्ट द्वारा अपील जानबूझकर विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा उन्हें अपीलाधीन निर्णय की पूर्व से ही जानकारी थी क्योंकि उनको केवियेट प्रार्थना–पत्र की सूचना रेस्पोडेन्टस के द्वारा दी गई थी। रेस्पोडेन्ट द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वे अपने हिस्से में प्रारम्भ से ही काबिज चले आ रहे है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे की जॉच करके ही कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है।अपीलान्ट द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई सारभूत आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है इसलिये अपील खारिज फरमाई जावे। उभयपक्ष द्वारा बहस में किये गये कथनों के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 3–10–2016 को आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई है उक्त आपत्ति में कथन किया गया है कि तहसीलदार द्वारा प्रतिवादी को नोटिस दिये बगैर तथा उनकी अनुपस्थिति में फौरी तौर पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है तथा वादग्रस्त खसरा नम्बर 1347 की सीमाओं का कोई ब्यौरा रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। न ही पीटीसर्वे किया गया है तथा मौके की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। उक्त आपत्ति पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह उल्लेख करते हुए कि तहसीलदार द्वारा नियमानुसार मौके की स्थिति अनुसार ही कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की जाती है तथा प्रतिवादी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कुर्रेजात रिपोर्ट में क्या गलती की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

है, उक्त आपत्ति प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये उक्त विवेचन में अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर अपना कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं दिया गया है। इसके पश्चात दिनांक 26–10–2016 को अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं रहने से प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही हेतु समय प्रदान किया जावे।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात यह उल्लेख करते हुए की प्रतिवादी द्वारा ट्रांसफर प्रार्थना–पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है, प्रतिवादी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए तथा प्रकरण में वादी की एकतरफा बहस सुनी जाकर दिनांक 15–12–2016 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है।इस प्रकार प्रकरण में न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त की अवहेलना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुछ हद तक अवश्य की गई है क्योंकि पक्षकारान द्वारा अविश्वास दर्शाये जाने के बाद न्यायालय को प्रकरण निर्णित किये जाने में तत्परता नहीं दिखानी चाहिए तथा " न्याय करना ही नहीं बल्कि न्याय दिखना भी चाहिए " के नियम का पालन किया जाना चाहिए। अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र धारा 5 में उल्लेख किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी उनके अधिवक्ता द्वारा उन्हें नहीं दी गई है तथा सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16–07–2017 को रेस्पोडेन्टस द्वारा अपीलान्ट को कब्जे काश्त से बेदखल करने की धमकी दिये जाने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई है। जानबूझकर विलम्ब नहीं किया जाकर उक्त दैरी सदभाविक है तथा न्याय हित में अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावे। प्रार्थना–पत्र के जवाब में रेस्पोडेन्टस द्वारा यह कथन किया गया कि अपीलान्ट को दिनांक 27–12–2016 को उनके द्वारा प्रेषित किया गया केवियेट प्रार्थना–पत्र प्राप्त हो चुका था अतः इन्हें प्रारम्भ से ही अपीलाधीन निर्णय की जानकारी थी। रेस्पोडेटस द्वारा अपने उक्त कथन के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रकरण के गुणावगुण पर मजबूत होने की स्थिति में मियाद बिन्दु पर उदारता बरती जानी चाहिए। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया लागू नहीं होते है।प्रकरण में उपर्युक्त विवेचन से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में तथ्यों एवं विधि की सारभूत त्रुटि किया जाना प्रतीत होता है। प्रकरण का मुख्य विवाद बिन्दु जो कि वादग्रस्त भूमि के मौके के वास्तविक कब्जे से संबंधी है का कोई परीक्षण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है तथा अपीलान्ट की आपत्तियों का भी कोई विवेकपूर्ण निस्तारण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा अविश्वास दर्शाये जाने के उपरान्त भी एकतरफा में बहस सुन कर निर्णय पारित किया गया है, आदि तथ्य इस बात के लिये पर्याप्त है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे। परिणामस्वरूप अपीलान्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है तथा अपील उपर्युक्त विवेचन से आंशिक तौर पर स्वीकार योग्य पाई जाती है।

8— अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15—12—2016 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके की जॉच उपरान्त उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनःकुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। दिनांक 06—02—2018 को तहसीलदार द्वारा उक्त जॉच कर रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं तथा उभयपक्ष को उक्त दिवस को मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब निर्णय की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9— निर्णय आज दिनांक 09—01—2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर